



122

- श्री - < F H S K

न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ----- निगरानी

*[Handwritten signature]*  
12-7-06

12/271/H/06

सागरचन्द नैन वात्सल श्री चांदमलनी नैन वायु  
वर्षी धन्धा कृषि निवासी नान खैडा उप  
----- निगरानी कर्ता

श्री अनन्त सिंह सिमौधिया  
अभिभाषक द्वारा आज  
दिनांक 12-7-06 को उज्जैन  
केम्प पर प्रस्तुत की।

विरुद्ध

- १- समस्त ग्रामवासीगण ग्राम नीकखैड़ी, दाऊदखैड़ी, साबरखैड़ी, चांदमल, एवं सिकन्दरी, लक्ष्मण वादि
- २- नारंग कालीनाईवर,

----- का खेदकाण

*[Handwritten signature]*  
12-7-06

माननीय अधिनस्थ न्यायालय वैखीलदार महोदय वैखील उज्जैन के प्रकरण क्रमांक ३ व १३ २००५-०६ में पारित बादेश तारीखी १०-११-२००६ से अस्तुष्ट होकर यह निगरानी अर्न्तगत धारा ५०, ५० प्रो रा १० संज्ञित।

माननीय महोदय,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी वाकदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय वैखीलदार महोदय उज्जैन के समक्ष एक बाकदन पत्र संज्ञित की धारा २३१, के तहत ग्राम नीकखैड़ी, दाऊदखैड़ी, सिकन्दरी, वादि की ओर से उनके अभिभाषक इंद्रेश श्रीवास्तव अभिभाषक की ओर से बाकदन पत्र प्रेश है तथा उसी वधि ति धारा क्रमांक ४ के अनुसार रास्ता बाहा गया है।

यह कि निगरानी कर्ता की ओर से एक बाकदन पत्र अधिनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1271-एक/06

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.एस. सिसोदिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p> प्रशासकीय सदस्य</p>